<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

टाईटल अपील वाद संख्या 01/1994

दिनांक 24.06.2025

आदेश दिनांक 05.04.2025 के आलोक में कार्यालय द्वारा संबंधित न्यायालय को आदेश का प्रति भेजा गया है और संबंधित स्वत्व वाद 125/1984 के मूल अभिलेख की मांग की गयी है किन्तु अभी तक यह अप्राप्त है जबकि 30 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। **कार्यालय इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय वैशाली को सूचित करे। संबंधित पक्षों को अभिलेख सीन करा लिया गया है।** आज एक आवेदन अपीलकर्ता की ओर से इस आशय का दाखिल किया गया है कि वे उपरोक्त हकियत वाद में प्रतिवादी संख्या 2 थे और आज उनकी ओर से आवेदन में वर्णित कागजातों की प्रति दाखिल की गयी है। जिसमें प्रतिवादी संख्या दो की ओर से साक्षी संख्या 2 रमेश कुमार, साक्षी संख्या 3 रामेश्वर प्रसाद चौरसिया, साक्षी संख्या 4 शिवनाथ भगत, साक्षी संख्या 8 केदार प्रसाद चौरसिया एवं साक्षी संख्या 9 मुकुल कुमार सिन्हा का मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण है और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रदर्श संख्या बी एक तिहाई भरना का रूपया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अदाय किये जाने की प्राप्ति रसीद की कार्बन प्रति, प्रदर्श सी अतायनामा दिनांक 11.07.1984 की सच्ची प्रतिलिपि, प्रदर्श संख्या डी पंचायती दिनांक 21.02.1986 की फोटो स्टेट प्रति, प्रदर्श ई मुसमात भगवनिया कुंवर द्वारा दिनांक 29.07.1986 को किये एक इजहार की छायाप्रति, प्रदर्श एफ धारा 10(क) वाद संख्या 326/1985 में पारित आदेश की छायाप्रति, प्रदर्श जी दुलवा देवी के नाम से निर्गत चकबंदी खतियान, प्रदर्श जी/1 ग्राम धाने गोरौल के खाता संख्या 308 का नया सर्वे खतियान, प्रदर्श एच दाखिल खारिज आदेश पर कर्मचारी का प्रतिवेदन, प्रदर्श आई दुलवा देवी द्वारा दिनांक 17.01.1987 का कैंसिल किये गये गकरारनामा लादावी का छायाप्रति, प्रदर्श जे दुलवा देवी द्वारा दिनांक 07.01.1987 को लिखे गये एकरारनामा लादावी की छायाप्रति, प्रदर्श के मुसमात भगवनिया कुंवर के द्वारा दिनांक 19.05.1986 को कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श एल चकबन्दी कार्यालय द्वारा परमीशन के संबंध में दिए गए सूचना की छायाप्रति दाखिल किया गया है। इस आवेदन को अपीलकर्ता द्वारा उतरवादी को सीन करवा कर दाखिल किया गया है। **कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा दाखिल दस्तावेज का मिलान उनके द्वारा दिए गए आवेदन से करके एक प्रतिवेदन दें कि सभी दस्तावेज सही तरीके से दाखिल किया गया है।**

Web Copy not Official

दिनांक 05.07.2025 अग्रतर कार्रवाई हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय